

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र०स०१५५/१९... ता०रजु. ०१.१०.१९... किस्म मुकदमा ९१ एलआर एक्ट निर्णय दिनांक १०.०२.२०२०

सरकार

बनाम

श्री श्री राजन पुत्र कुंडू

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का भरतपुर मालुमा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम भरतपुर ५६२ के खसरा नम्बर ३२२ रकवा ५५.७१ हैक्ट. किस्म भूमि पारागाह पर सम्बत २०७६ में श्री श्री राजन पुत्र कुंडू, भरतपुर कि भरतपुर ५६२ तह० बयाना ने ०.३२ हैक्ट. अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण ९१ एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर ३२२ रकवा ०.३२ हैक्ट. वाके ग्राम भरतपुर ५६२ से बेदखल किया जाता है। लगान १.२८ का ५० गुणा पैन्ल्टी राशि ६५६ रुपये से दण्डित किया जाता है। पैन्ल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैन्ल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक १०.०२.२०२० को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
बयाना